न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— करतार सिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2017/00263 (359/2017) 225 आरटीएक्ट

1. शिवराज सिंह पुत्र स्व0 श्री ठाणासिंह जाति जटसिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ ।
2. सरदूल सिंह पुत्र स्व0 श्री ठाणासिंह जाति जटसिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. गुरदीप कौर पत्नी श्री निर्भयसिंह जाति जटसिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ।

—असल रेस्पोडेण्ट

2. नेहचल सिंह पुत्र बलीसिंह जाति जटसिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. हरबंश सिंह पुत्र केहर सिंह जाति जटसिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. सुखदेव सिह पुत्र केहर सिंह जाति जटसिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. गुरनेक सिंह पुत्र केहर सिंह जाति जटसिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. मनजीत सिंह पुत्र श्री अजमेर सिंह पुत्र केहर सिंह जाति जटसिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. गुरटेक सिंह पुत्र श्री अजमेर सिंह पुत्र केहर सिह जाति जटसिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. मनजीत कौर पुत्री श्री अजमेर सिंह पुत्र केहर सिंह पत्नी सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी गेलेवाला गुवाहा, तहसील जलालाबाद जिला फाजिल्का (पंजाब)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:09:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

9. गुरचरण सिंह पुत्र मेहर सिंह जाति जटसिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ।

10. बलवन्त सिह उर्फ बन्त सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी लोहगढ तहसील डबवाला जिला सिरसा (हरियाणा)

11. हरनेक सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह जाति तरखान निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ।

12. गुरदीप सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति तरखान निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ।

13. ज्ञान कौर पत्नी स्व0 श्री ठाणा सिंह जाति जटसिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ।

14. गमदूर सिंह पुत्र स्व0 श्री ठाणासिंह जाति जटसिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ।

15. छिन्द्रपाल कौर पुत्री स्व0 श्री ठाणा सिंह पत्नी जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ज्ञानदान स्कूल के पास, रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

16. गुरदीप कौर पुत्री श्री ठाणा सिंह पत्नी जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 6 जी. डी. घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

17. परमजीत कौर पत्नी स्व0 इकबाल सिंह पुत्र ठाणा सिंह जाति जटसिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ।

18. लखवीर सिंह पुत्र स्व0 इकबाल सिंह पुत्र ठाणा सिंह जाति जटसिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ।

19. दलवीर कौर पुत्री स्व0 इकबाल सिंह पत्नी परविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 7 डी.डी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

<u>–तरतीबी / रेस्पोडेण्ट</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:09:36 IST
Reason: SelfAttested

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.07.2017 उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ प्रकरण संख्या 152 / 2015 [illegible] बनाम ठाणा सिह

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

श्री खुशप्रीत सिह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1

श्री रमेश चन्द्र जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 11 व 12

निर्णय दिनांकः– 31.3.2021

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें चक 22 एमजेडी तहसील हनुमानगढ में अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि जरिये पृथक –पृथक विक्रय पत्र प्रार्थी को विक्रय कर दिया तथा चक 22 एमजेडी के प. नं. 92/190 किला नं. 6, 11 ता 14, 17 ता 20 पत्थर नम्बर 93/190 किला कनं. 4, 5, 7 ता 10 भूमि का कब्जा सौंपा तब से उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा अप्रार्थी संख्या 8 ने प्रार्थीया के पक्ष में दिनांक 17.05.20210 ाके रजिस्टर्ड बेयनामा कुल 3.036 है0 का प्रार्थीया के पक्ष में पंजीकृत करवाया तथा प0 नं0 92/190 किला नं. 1 ता 5, 7 ता 10 व पत्थर नम्बर 93/190, किला नं. 1 ता 3 कुल 3.036 है0 का कब्जा प्रार्थीया को सौंपा तब से भूमि प्रार्थीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है। प्रश्नगत भूमि मुश्तर्का खाता में होने के कारण पक्षकारों के मध्य विवाद रहने का कथन करते हुए प्रार्थीया के आधिपत्य व धारण में किसी प्रकार हस्तक्षेप न करने व उक्त भूमि से प्रार्थीया को बेदखल कर स्वयं काबिज होने से निषेध करने के लिए स्थगन आदेश जारी करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायलाय ने दिनांक 19.06.2015 को एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया तथा दिनांक 05.07.2017 को एकपक्षीय स्थगन आदेश को ताफैसला वाद कायम रखा। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:09:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय गलत, विधि विरूद्ध तथा न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण खारिज यिके जाने योगय है। पत्रावली वास्ते अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट व संशोधित शीर्षक व आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के जवाब हेतु मुकर्रर थी, जिसमें ठाणासिंह के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने आवश्यक था। ठाणासिंह के वारिसान प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे जिन्हें अप्रार्थीगण पक्षकार संयोजित किये बिना ही अपीलाधीन आदेश परित किया जिसमें अपीलाण्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है। विचारण न्यायालय के समक्ष जेरेकार प्रार्थना–पत्र में बिना किसी प्रकार की सूचना दिये पेशी में लिया जाकर एकपक्षीय स्थगन आदेश दिया। अपीलाण्ट को सुने बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया जिसमें कानून की अनदेखी की गई है। वादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट की पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अजनबी क्रेता है तथा कानूनन एक अजनबी क्रेता अपने बेयनामा के एवज में विशिष्ट किलों का कब्जा खाता विभाजन करवाये बिना प्राप्त नहीं कर सकती है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट का ज्ञान नहीं था। अपीलाण्ट एक प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत भूमि प्रतिफल देकर क्रय किया है, जिसपर उसका कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलाण्ट ने विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है। विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:09:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधि
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 11 व 12 ने कथन किया कि हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं उसका सशपथ खण्डन नहीं होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण स्वीकार किया जाता है अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

8. धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं उसका सशपथ खण्डन नहीं होने एवं प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 में प्रार्थना–'पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 19.06.2015 को एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया था। इसके बाद पत्रावली तामील रेस्पोडेण्टान व संशोधित शीर्षक व आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के जवाब हेतु मुकरर्र थी। दिनांक 21.04.2017 को पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 07.07.2017 नियत की गई थी लेकिन इस बीच दिनांक 05.07.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार कैम्प माणुका में अपीलाधीन आदेश से एकपक्षीय सथगन आदेश को ताफैसला वाद कन्फर्म करने के आदेश दे दिये गये। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। अपीलाण्ट स्व0 ठाणासिंह के वारिस होने के कारण वे आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार हैं। उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायलय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:09:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणिति प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 31.03.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

31/3/21

(करतार सिंह पूनियां आरएएस)

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:09:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner